Journal of Socio-Educational & Cultural Research, Vol. 2, No. 5, July-December, 2016 ISSN : 2394-2878

खाद्य सुरक्षा कानून एवं भोजन का अधिकार
(एक समाजवैज्ञानिक विश्लेषण)

संजय कुमार पटेल*

भारत उभरती आर्थिक शक्ति होने के बाद भी अभी तक उन देशों में सम्मिलित है, जहाँ कुपोषण एवं भुखमरी अधिक हैं। सरकार स्वंय मानती है कि देश में पाँच वर्ष से कम उम्र के कुल बच्चों में से आधे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। इसके अतिरिक्त यू0एन0 हंगर रिपोर्ट 'स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड' के अनुसार भारत "Alarming Hunger Problem" की दशा में है और 79 देशों में इसका 65 वां स्थान है। स्पष्ट है कि देश की काफी आबादी को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नही मिलता है। इसी से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा जैसी योजना की आवश्यक्ता अनुभव की गई। इस योजना की आवश्यक्ता को देखते हुये मंत्रीमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर अध्यादेश को राष्ट्रपति की स्वीकृती के लिए 3 जुलाई को भेजा था। इस विधेयक पर अध्यादेश के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाले केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 3 जुलाई को स्वीकृति प्रदान की थी। भारत के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने संविधान के अनुच्छेद 123 की शक्ति का प्रयोग करते हुये 5 जुलाई 2013 को इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिया। इस प्रकार भारत सम्पूर्ण विश्व में इस प्रकार की सबसे बड़ी योजना लागू करने वाला देश बन गया। खाद्य सुरक्षा बिल भारत की 75 प्रतिशत ग्रामीण एवं 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को कवर करेगा। इस प्रकार अब देश की 67 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात लगभग 82 करोड़ लोगों को राशन की दुकानो से क्रमशः 3, 2 और 1 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चावल, गेहूं और मोटे अनाज लेने का कानूनी अधिकार मिल गया है। इस योजना की विशेषता यह है कि इसमें अनाज आवटंन के लिए परिवार के बजाए प्रति व्यक्ति इकाई माना गया है। 5 व्यक्तियों का परिवार मानक माना गया है, अर्थात प्रत्येक परिवार को 25 किलो अनाज मिलेगा।

खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य–

विश्व खाद्य समिति 1996 ने खाद्य सुरक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है– खाद्य सुरक्षा वह दशा है जिसमें व्यक्ति व्यक्तिगत, परिवारिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर सभी लोगों को सभी समय में सुरक्षित एवं पोषण युक्त खाद्य की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच हो ताकि वे अपने आहार की आवश्कता एवं प्राथमिकता वाले खाद्य की प्राप्ति कर सकें एवं एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सके।

2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार –

''यह एक मौलिक मानव अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को अनुवांशिक रूप से प्राप्त होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को उसके संस्कृति के अनुरूप मात्रात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि से पर्याप्त भोजन की उपलब्धता है।''

FAO (Food and Agriculture Organization) –

खाद्य सुरक्षा के 4 पक्ष है – उपलब्धता, पहुंच उपयोग एवं स्थिरता या सत्ता।

WHO (World health Organization) –

ने भी खाद्य सुरक्षा के तीन स्तर माने हैं – उपलब्धता, उपयोग एवं स्थिरता।

खाद्य सुरक्षा बाढ़, सुखा, आदि प्राकृतिक प्रकोप एवं जनसंख्या विस्फोट, मंदी, भ्रष्टाचार, गृहयुद्ध आंतरिक अशांति आदि से प्रभावित होती है। खाद्य सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्पादन वृद्धि एवं खाद्यान्नों तक अनकी पहुच अर्थात वितरण पक्ष का सबल होना भी महत्वपूर्ण है।

खाद्य सुरक्षा की भारत में दशा –

भारत के संन्दर्भ में कुपोषण दूर कर खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना स्वतंत्रता के बाद से ही गम्भीर चुनौति रही है। इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए गये जैसे काम के बदले अनाज कार्यक्रम, सब्सिडी युक्त राशन की सप्लाई, अत्योदय कार्यक्रम आदि। परंतु भारत में स्थिति, अभी भी गम्मीर बनी हुई है। नंदी फाउंडेशन की हंगामा रिपोर्ट 2012 के अनुशार भारत में 42 प्रतिशत बच्चें कुपोषित है।, विभिन्न रिपोर्टो

* **शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी**

से यह स्पष्ट होता है कि भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित जनसंख्या है। यहां के कुछ क्षेत्रों जैसे मध्य प्रदेश में कुपोषण की समस्या अफ्रीकी देशों **रवांडा, बुरूडी, सोमालिया** आदि के समान अति गंम्भीर है। भारत खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से श्रीलंका, चीन आदी पड़ोसी देशों के साथ ब्रिक्स के अन्य देशों से भी पीछे है जो उसकी विश्व महाशक्ति की ओर अग्रसरित होने की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0) जो 1997 में शुरू की गई थी उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि गरीबों के लिए आवंटित आनाज बाजार में बिकता है, उत्तर प्रदेश मे तो अति ही कर दी गई। यहां घोटालाबाजो ने पी0डी0एस0 **(सार्वजनिक वितरण प्रणाली)** के लिए आवंटित आनाज से लदी मालगाड़ी को सीधे बंग्लादेश पहुचा दिया। इस घोटाले की सी0वी0आई0 जांच जारी है। इसके अतिरिक्त समाज के सामंती स्वरूप, जातिगत रूढ़ियों अशिक्षा, जागरूकता की कमी, तिकड़मबाजों की फौज आदि के चलते समाज के संम्पन्न वर्ग गरीबों का हक छीनते रहे हैं। इन्ही सभी दोषों एवं भ्रष्टाचार को देखते हुये खाद्य सुरक्षा बिल बनाया गया है जिसमें राज्य और जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का प्रावधान है।

खाद्य सुरक्षा कानून –

खाद्य सुरक्षा एवं पोषण का उचित स्तर प्राप्त करना वर्तमान में मानव संसाधन विकास के संन्दर्भ में सबसे गम्भीर चुनौती है। आज देखा जाये तो सम्पूर्ण विश्व में प्राकृतिक संसाधनों का अत्याधिक दोहन किया जा रहा है, इस दोहन के परिणाम स्वरूप आने वाले वर्षों में प्राकृतिक संसाधन पूर्णतः खत्म हो जायेंगे। उसी के विपरीत मानवरूपी संसाधन निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आज अगर जो राष्ट्र अपनें मानव रूपी संसाधनों का उचित विकास कर रहा है वह विश्व में विकास के पथ पर अग्रणी राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अगर देखा जाए तो विश्व के जो भी देश विकसित है वह अपने मानवरूपी संसाधन के बल पर ही विकसित हुये है।

इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए भारत के नीतिनियन्ताओं ने भी एक स्वस्थ खुशहाल एवं शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए 3 जुलाई को खाद्य सुरक्षा बिल को राष्ट्र पति के पास अनुमोदन के लिए भेजा राष्ट्रपति ने भी 5 जुलाई को इस अध्यादेश पर अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस प्रकार यह अध्यादेश कानून का रूप धारण कर लिया।

इसके पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक – 2011 को 22 दिसम्बर, 2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके द्वारा कम दामों पर पर्याप्त मात्रा में जनता के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाना था। इस विधेयक की कुछ बातों को लेकर केन्द्र एवं राज्य **सरकारों के बीच मतभेद रहा। यह विधेयक समय – दर –** समय खिसकता रहा। अन्ततः 5 जुलाई, 2013 को इस विधेयक को अध्यादेश के जरिये देश में लागू कर दिया गया है।

परन्तु फिर यह प्रश्न उठने लगा, कि क्या एक महीने बाद जब संसद का मानसून सत्र प्रारम्भ होगा उस समय यह अध्यादेश दोनो सदनों में पास हो जाएगा क्योंकि किसी भी अध्यादेश की एक निश्चित समय सीमा होती है यह अध्यादेश संसद सत्र के शुरू होने के छः सप्ताह तक ही बना रह सकता है, या इसे अधिकतम 6 माह तक बढाया जा सकता है।

कुद दिनो के उपरान्त संसद का मानसून सत्र प्रारम्भ हो गया। पूरा देश संसद की ओर देख रहा था कि वह देश से भुखमरी को मिटाने के लिए क्या वैसी ही एकजुटता दिखाती है जैसी वह संसद सदस्यों की तनख्वाह और यात्रा भक्तों को बढ़ाते वक्त दिखाती रही है। संसद में खाद्य मंत्री के0बी0 थामस ने 07 अगस्त, 2013 दिन बुधवार को खाद्य सुरक्षा बिल पेस किया। इस दिन भी संसद में भारी शोर–शराबा था, लेकिन चूँकि यह मुद्दा गरीबों के भोजन से जुड़ा था। और सभी राजनीतिक पार्टिया किसी न किसी रूप में इसका समर्थन करती थी। परन्तु इस बिल के कुछ ऐसे प्रावधान थे जो सभी संसद सदस्यों को मंजुर नही थे। फिर भी संसद के सभी सदस्यों ने इस विधेयक में कुछ संशोधन एवं सुझावों के साथ समर्थन किया।

इस प्रकार लोक सभा ने 26 अगस्त एवं राज्य सभा ने 2 सितम्बर को इस बिल को पास कर दिया। और भारत दुनियाँ का सबसे बड़ा खाद्य कार्यक्रम चलाने वाला देश बन गया। इस कार्यक्रम पर अनुमानित वार्षिक सरकारी खर्च रु0 1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपयें) तथा 6.2 करोड़

टन खाद्यान की वार्षिक आवश्यकता पड़ेगी। इससे देश की 67.1 प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित होगी। इस खाद्य कार्यक्रम में प्रति व्यक्ति, 3,2,1 रुपयें प्रति किलों चावल, गेहूँ और मोटा अनाज मिलेगा।

संसद मे पास होने के बाद खाद्य सुरक्षा बिल को राष्ट्रपति से मिली मंजुरी–

संसद के दोनां सदनो ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुये खाद्य सुरक्षा बिल को पास कर दिया तब उसके उपरान्त एक बार पुनः 12 दिसम्बर 2013 को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। यह जानकारी खाद्य मंत्री के0वी0 थामस ने दिया।

भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यो?

- 44 प्रतिशत बच्चों **(5 वर्ष तक के)** का वजन सामान्य से कम।
- 7 प्रतिशत बच्चें पाँच वर्ष की आयु भी पूरी नहीं कर पाते।
- 21 करोड़ 7 लाख लोग प्रतिशत भूखे सोने को मजबूर।
- भारत की 81 प्रतिशत जन संख्या कुपोषित ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 65 वां स्थान (79 देशो में)।
- बाढ एवं सुखा आपदा की दशा में भूखमरी की समस्या।

भोजन का अधिकार, आधार रूप में–

खाद्य सुरक्षा कानून को अंतर्राष्ट्रीय, विधियों एवं संविधान तथा न्यायिक निर्णयों से समर्थन मिलता है।

UDHR (Universal Decleration of Human Rights) –

के अनुच्छेद 25 एवं अंतराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अधिकार प्रतिज्ञा पत्र (ICESIR) के अनुच्छेद 11 में भोजन के अधिकार का वर्णन हें वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भोजन के अधिकार को परिभाषित करते हुये कहॉ है कि यह एक मौलिक मानव अधिकार है।

- भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सर्वाच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त **''प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण''** में भोजन के अधिकार को अंतर्निहित माना है।
 निति निर्देशक तत्वों क तहत् अनुच्छेद 47 मे पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊचा करना तथा लोक स्वास्थ का सुधार करना राज्य का कर्तव्य बताया है।
- 2001 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा भोजन के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी। इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया।

खाद्य सुरक्षा की मुख्य विशेषताए एवं प्रावधान–

- **पूरे भारत में लागू–** भारत के प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा की कानूनी अधिकार प्राप्त होगा।
- **जनसंख्या का वृहत भाग लाभान्वित–** खाद्य सुरक्षा कानून देश की 67 प्रतिशत जनसंख्या सब्सिड़ी युक्त अनाज से लाभान्वित होगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत गरीब परिवार सम्मिलित है। यह एक कानूनी अधिकार है।
- प्रत्येक गरीब को महीने मे 5 किलों ग्राम सब्सिडी युक्त अनाज मिलेगा इसमें 3 रू0 किलो चावल, 2 रू0 किलो गेहूँ व 1 रू0 किलो मोटा अनाज दिया जाऐगा। 5 व्यक्तियों का परिवार मानक माना गया है। अर्थात प्रत्येक परिवार को 25 किलो अनाज मिलेगा। इसमें परिवार के साथ परिवार के प्रति व्यक्ति इकाई माना गया है।
- **अनाज नही तो नकद –** अनाज न दे पाने की स्थिति में राज्यों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देना पड़ेगा जिनकी राशि केन्द्र तय करेगी।
- **अंत्योदय के प्रावधान जारी –** समाज के अत्यन्त गरीबों को अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंन्तर्गत हर महीने मिलने वाले 35 किलो अनाज की आपुर्ति पहले की भाती जारी रहेगा।
 इतना ही नही राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मौजूदा दर पर अनाज की आपुर्ति होती रहेगी।
- **शिशु एवं मातृ पोषण –** आज हमारे देश के 44 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे है। जिसका प्रमुख कारण गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाने वाली माताओं को निर्धारित माप दंडो के अनुरूप भोजन प्राप्त नहीं हो पाना भी है।

इस अध्यादेश में महिलाओं व बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप भोजन पाने का हक होगा। उन्हे कम से कम छः महीने 1000 हजार रूपये प्रति महीने मातृत्व लाभ भी मिलेगा।

छः महीने से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चें घर पर राशन पाने अथवा पोषण संबंधी मापदंडो के आधार पर गर्म पका भोजन पाने के हकदार होंगे।

- **भूख एवं आपदा से प्रभावितों को मदद –** विशिष्ट परिस्थितियों में भूखमरी एवं प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों को भी लाभ मिलेगा।
- **हितधारको का निर्धारण –** गरीबो की संख्या योजना आयोग तय करेगाा जबकी उनकी पहचान राज्य करेंगे।
- **दरों में परिवर्तन –** दरों मे परिवर्तन पर विचार तीन वर्षो के अन्तराल में किया जाएगा।
- **जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र –** शिकायतों एवं भ्रष्टाचार से निपटाने के लिए हर जिले में एक कॉल सेंटर एवं हेल्प लाइन होगी। सतर्कता समितियां भी बनेगी।
- **सामाजिक लेखा परीक्षा एवं सतर्कता समितियाँ –** इस विधेयक के अन्तर्गत पारदर्शिता एवं जवाब देही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाल से संबंधित रिकार्ड सार्वजनिक करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा एवं सतर्कता समितियाँ स्थापित की जाएगी।
- **बुजुर्ग महिला धर की मुखिया –** महिला सशक्ति करण को बढावा देते हुए इस विधेयक में 18 वर्ष या अधिक की महिला राशन कार्ड जारी करने के लिए धर की मुखिया होगी। यदि ऐसा नहीं है, तो सबसे बड़ा पुरूष सदस्य धर का मुखिया होगा।

खाद्य सुरक्षा कानून की समीक्षा एवं सुझाव –

- **संख्याओं का फेर –** जिस देश में अनाज के ढेर पर भुखमरी फल–फुल रही हो, वहां खाद्य सुरक्षा कानून की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन समस्या यह है कि इस कानून को जिस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लागू किया जाएगा, वह शुरू से ही बीमार है। फिर राशन कार्डो के वितरण में होने वाले भ्रष्टाचार के तार **गरीबों की पहचान –** प्रक्रिया से जुड़े है जो विवादास्पद है।

 गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) की जनसंख्या के बारे में योजना आयोग का आंकड़ा कुछ और है व राज्य सरकारों का कुद और। इसका प्रमुख कारण है कि योजना आयोग की दिलचस्पी जहाँ बी0पी0एल0 जनसंख्या को कम कर के दिखाने में ताकि सब्सिडी का भार कम किया जा सके, वही राज्य सरकारें जानती हे कि बी0पी0ए का आंकड़ा कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनुदान पाने का प्रमुख आधार है। यहाँ पर योजना आयोंग एवं राज्य सरकारों को मिल कर सही ढंग से वास्तविक गरीब परिवारों की पहचान करना एवं फर्जी राशन कार्डो को निरस्त करना होना चाहिए क्योंकि फर्जी कार्डो के जरिए वास्तविक परिवारों जो गरीब है उनका हक मारा जाता है और सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक भार भी बढता है।
- **बरबादी बनाम भुखमरी –** भ्रष्टाचार के अलावा भंडारण व वितरण के स्तर पर अनाज की बर्बादी भी होती है। स्वयं प्रधानमंत्री तक कह चुके है कि खाद्य प्रबधंन एक तरह से कुप्रबंधन का पर्याय बन चुका है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के अनुसार पिछले पांच सालों में 45 करोड़ रूपये की कीमत का अनाज बरबाद हो गया है यह बरबादी भण्डारण के अलावा वितरण और आपूर्ति के दौरान भी हुई। यदि यह नुकसान न हुआ होता तो इन पांच सलों में हर साल ढ़ाई लाख लोगों को खाना खिलाया जा सकता था। यह स्थिति उस देश की है, जहाँ 20 करोड़ लोग एक वक्त के खाने को मोहताज है।

भुखमरी एवं कुपोषण से हो रही मौतो तथा खुले में सड़ते हुये अनाजों को देखकर भारत के सर्वोच्य न्यायालय को भी कहना पड़ा की अगर अनाज का उचीत भण्डारण नहीं हो पा रहा है तो इन अनाजों को गरीबों में बटवा देना चाहिए क्योंकि एक तरफ अनाज सड़ रहा है तो दूसरी तरफ भुखमरी से लगातार मौतें हो रही है।

भारत में कुपोषण की व्याकता बताने वाले कई अध्ययन सामने आ चुके है। इन सबका सारांश यही है। कि देश के 40 से 45 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार है।

स्वयंसेवी संगठन **'नंदी फाउंडेशन'** की एक रिपोर्ट का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने कुपोषण को **राष्ट्रीय कलंक** की संज्ञा दी थी इस कलंक का कारण विकास की विसंगतियां है जो अधिकांश जनसंख्या को बाईपास कर जाता है। फिर कुपोषण से निपटने के लिए चलाइ जाने वाली योजनाओं को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखती। कम आवटंन के साथ–साथ भ्रष्टाचार के कारण उनका लाभ लक्षित समूहों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता है।

ऐसे में उसी सिस्टम के जरिए नए कानून को क्रियान्वित कर भुखमरी व कुपोषण खत्म करने के दावे में संदेह है। इसके लिए जनता को शिक्षित एवं जागरूप करना होगा।

- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का घुन –** देश के गरीबों को रियायती दर पर खाद्य व अखाद्य वस्तुओं के वितरण की यह योजना केन्द्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाती है। इसके लिए देश भर में 4.99 लाख उचित दर की दुकाने स्थापित की गई है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है। मौजूदा समय में इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को हर महीने 35 किलों तथा गरीबी रेखा से ऊपर (ए0पी0एल0) के परिवारों को 15 किलों अनाज रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है। पी0डी0एस0 की विशाल व्यवस्था में जहां केन्द्र सरकार पर खाद्यान की खरीद, भंडारण परिवहन और उसके थोक आवंटन की जिम्मेदारी होती है वहीं राज्य सरकारों पर राशन दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं में इसके वितरण की।

सबसे ज्यादा गोल माल वितरण के स्तर पर ही होता है। उपभोक्ताओं में वितरण के लिए दी जानी वाली सामग्री का एक बड़ हिस्सा काला बाजारी की भेट चढ़ जाता है। खाद्यान खरीद और परिवहन में भ्रष्टाचार की कथाएं अनंत है।

स्पष्ट है कि ऊपर से नीचे तक फैला यह भ्रष्टाचार पी0डी0एस0 में धुन की तरह लगा है।

पी0डी0एस0 के भ्रष्टाचार की जाचं के लिए गठित वाधवा कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि नौकरशाहों, राशन दुकानदारों और बिचौलियों की तिकड़ी के कारण इस प्रणाली में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसी का परिणाम है कि गरीबों के लिए आंवटित अनाज राशन दुकानों के बाजाए सीधे आटा मिलों तक पहुच जाता है। समिति ने यह भी बतया कि राज्य सरकार पी0डी0एस0 मे सुधार के लिए बिलकुल भी गंभीर नहीं है और ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार सब्सिडी बांट कर खुश है और राज्य सरकारें राशन के दुकानें खुलवाकर।

यही कारण है कि पी0डी0एस0 का घुन उसे खाये जा रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी (क्रिसिल) ने पीडी0एस0 के काम काज का मूल्यांकन करते हुए एक रिपोर्ट तैयार किया गया, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार व पंजाब में राशन का 75 प्रतिशत अनाज चोरी हो जाता है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में राशन की यह चोरी 50 से 75 प्रतिशत तक है। अन्य राज्यों यह अनुपात 30 से 50 प्रतिशत तक है। देखा जाए तो राशन की दुकान और बाजार में कीमतों का भारी अंतराल भ्रष्टाचार को पनपने के लिए उर्वर भूमि उपलब्ध कराता है साधारण सी बात है जब राशन की दुकानों पर तीन रूपये किलो बिकने वाला चावल खुले बाजार में 25 रूपये किलो बिकेगा तो भ्रष्टाचार होगा ही। यही कारण है कि ग्राम प्रधान एवं कोटेदार भ्रष्ट तरिकों को अपना कर फर्जी राशन कार्ड बनवा लेते है और इन कार्डो के नाम पर मिलने वाले राशन को खुले बाजार में बेच लेते है।

इसी का परिणाम है कि जिन ग्राम प्रधानों व कोटेदारों के खेत परती पड़ी है, वे हर साल सैकड़ों क्विंटल अनाज बेचते है चूंकि, ग्राम प्रधानों व कोटेदारों के सत्ताधारी दल से मधुर संबंध होते है इसलिए फर्जी राशन कार्डो और वितरण की धांधलियों पर रोक लगाना कठिन है।

- **यूनिवर्सल पी0डी0एस0 (सार्वभौमिक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली)–** फर्जी राशन कार्डो और वितरण की धांधलियों को रोकने के लिए कई विशेषज्ञ सुझाव देते है कि सस्ते अनाज की योजना सभी के लिए कर दी जाए। इससे बाजार में अनाज की मांग घट जाएगी और कालाबाजारी की समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा।

यहां सीमेंट का उदाहरण प्रासंगिक है। उदारीकरण के पहले सीमेण्ट की आपूर्ति सरकारी दुकानों के जरिए होती थी। जिससे उससे उसकी जमकर कालाबाजारी होती थी। लेकिन उदारीकरण के दौर में सीमेंट हर जगह मिलने लगा जिससे उसकी जमाखोरी एवं कालाबाजारी अपने आप खत्म हो

गयी। इसी तरह पी0डी0एस0 का दायरा बढ़ाकर सभी लोगों को इसका लाभ दिया जाए तो भ्रष्टाचार व कालाबाजारी अपने आप रूक जाएगी। इस दिशा में इण्डोनेशिया ने एक अनूठी पहल करते हुए सभी लोगों को सस्ता अनाज मुहैया कराने की योजना शुरू की जिससे अनाज की कालाबाजारी अपने आप रूक गई। यही नहीं हिमांचल प्रदेश और तमिलनाडू में सभी निवासियों को राशन की दुकानों से किफायती अनाज खरीदने की सुविधा मिली हुई है इसके लिए उन्हें राशन की दुकानों पर बी0पी0एल0 कार्ड भी नहीं दिखाना पड़ता है।

बाधवा कमेटी ने भी माना है कि तमिलनाडू में यूनिवर्सल पी0डी0एस0 लागू किए जाने के कारण वहां लीकेज रोकने में व्यापक कामयाबी मिली है। इसी तरह छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा आदि अन्य कई राज्यों ने भी अपने राज्यों में खाद्य सुरक्षा किसी न किसी रूप में लागू किया है।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा कानून को यदि ठीक ढंग से लागू किया जा सका तो यह 'भारत निर्माण' एवं संयुक्त राष्ट्र संगठन के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को हासिल करने में मील का पत्थर साबिल होगा। इसके लिए मात्र लाभार्थियों का चुनाव एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ–साथ देश में खाद्यानों का उत्पादन भी बढ़ाना होगा। सरकार को किसानों के हितों को भी ईमानदारी पूर्वक देखना चाहिए क्योंकि यदि अधिकांश आबादी को सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध होने लगेगा तो खाद्यान्नों के बाजारू मूल्य में भी गिरावट आने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप कृषक वर्ग को उसके परिश्रम का सही मूल्य नही मिल पायेगा। सरकार को किसानों के लिए सस्ते खाद एवं अन्य जरूरी समान समान सब्सिडी के साथ उपलबध कराना चाहिए एवं उनके फसलों का ऊचित दाम उन्हें दिलाना चाहिए आज किसानों में लगातार आत्महत्याओं का दर बढ़ता जा रहा है जो उनके गरीबी एवं कर्ज के कारण है। अगर एक सशक्त भारत का निर्माण करना है तो जहां समाज का हर व्यक्ति खुशहाल हो सभी को जीवन के सभी मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त हो, तो हम सभी को पूरी ईमानदारी से कार्य करना पड़ेगा।

आज सरकार को समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए ताकि समाज में उनके हक की जो चीजें उनसे छीनी जा रही है वह उन्हें प्राप्त कर सके। अगर सरकार ऐसा कर सकी तभी मानिएगा कि आजादी के 69 वर्षों बाद वास्तविक रूप से समाज का हर व्यक्ति आजाद होगा। समाज के हर व्यक्ति को उनका हक मिलेगा। इस सभी कार्यो के लिए सरकार को नौकरशाहों पर उचित निगरानी एवं नियंत्र रखना चाहिए तथा उनके कार्यों का समय–समय पर मूल्यांकन भी कराना चाहिए।

सन्दर्भ–सूची

1. शर्मा, जी0 एल0, 2015, सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
2. रावत, हरिकृष्ण, 2015, उच्चत्तर समाजशास्त्र विश्वकोष, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
3. According to 'The state of food Insecurity in the world report ,2014'(Ets issued jointly by the international Fund for agricultural Development and the world Food programme).
4. FIAN: Right to food report in India, 2007
5. Government of India planning commisson, July 2013
6. आई–सक्सीड, सितम्बर, 2013
7. अमर उजाला, 6 जुलाई, 2013, वाराणसी संस्करण
8. कवर स्टोरी, समसामयिक अवलोकन, सितम्बर 2013
9. केजी समसामायिकी, गगन गुप्ता, सितम्बर, 2013
10. दैनिक जागरण, 4 जुलाई, 2013, वाराणसी संस्करण
11. हिन्दुस्तान, 22 अगस्त, 2013, वाराणसी संस्करण
12. सफलता सामयिकी, अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, गौतम बुद्ध नगर, नोयडा, 201301, सितम्बर 2012
13. Micro Current, Understanding India Publication, 16/5, Ground Floor, (North) Indira Vikas New Delhi, Aug. 2013

●